अपील प्रकरण क्रमांक 2068/2014
विडियो कान्फ्रेसिंग जांजगीर आयोजित

08.01.2015

अपीलार्थी श्री मनीषकुमार साहू जिला जांजगीर चाम्पा उपस्थित ।

प्रतिअपीलार्थी कार्यालय जन सूचना अधिकारी श्रीमती डिगेश्वरी साहू प्रधान पाठक. शासकीय प्राथमिक शाला तनौद जिला जांजगीर चाम्पा की उपस्थित ।

अपीलार्थी श्री मनीषकुमार साहू के द्वारा जनसूचना अधिकारी शासकीय प्राथमिक शाला आवेदन दिनांक 04.03.2014 से माह जुलाई 2012 के कक्षा पहली से पांचवी तक दैनिक उपस्थिति के संबंध में निम्नानुसार जानकारी चाही गई –

सनम्र निवेदन है उपरोक्त विषयांकित के अन्तर्गत संदर्भित कक्षा 1 से 5 तक माह जुलाई 2012 की दैनिक उपस्थिति की आवश्यकता है । अतः दैनिक उपस्थिति (पालकान पंजी) की प्रमाणित छायाप्रति प्रदान की जावे ।

(2) जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 27.03.2014 से शुल्क रू 60/– की मांग की तथा 30 पृष्ठों की जानकारी दिनांक 11.04.2014 को उपलब्ध कराई ।

(3) अपीलार्थी के द्वारा आवेदन दिनांक 09.05.2014 से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.05.2014 से शुल्क जमा नहीं किये जाने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया ।

(4) इसके उपरान्त अपीलार्थी के द्वारा आयोग में द्वितीय अपील 30.05.2.14 प्रस्तुत की जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि उसको समयावधि में जानकारी नहीं दिया गया, प्रथम अपील का शुल्क जमा करने के उपरान्त भी उसका आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिया कि शुल्क जमा नहीं किया गया है तथा उसको प्रमाणित जानकारी नहीं मिली है ।

(5) जनसूचना अधिकारी का यह कथन था कि उसको शुल्क विलंब से प्राप्त हुआ इस कारण जानकारी प्रदाय में विलंब हुआ । प्रथम अपील हेतु उसके कार्यालय में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई । अपीलार्थी का यह कथन था कि उसके द्वारा समय से दस्तावेजो के लिए शुल्क जमा कर लिया गया था एवं प्रथम अपील की भी राशि जमा की गई थी । दोनों पक्ष इस विषय पर कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके । जानकारी के संबंध में अपीलार्थी के द्वारा केवल एक ही कमी बताई गई कि जानकारी प्रमाणित नहीं है । इस पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा अपीलार्थी से अनुरोध किया गया था कि वह जानकारी लेकर कार्यालय में आ जाये मैं हस्ताक्षर करके उपलब्ध करा दूंगी परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए ।

(6) प्रकरण में निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी उसको प्राप्त जानकारी लेकर जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो जावें तथा जनसूचना अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेवें कि प्रदाय की गई जानकारी को प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित उनके द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जावे । जनसूचना अधिकारी इस पत्र के

अपील प्रकरण क्रमांक 2068 / 2014

जारी होने के 20 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से अपीलार्थी को उनके पत्र जारी होने के तिथि से कम से कम 15 दिवस का समय देते हुए यह सूचित करें कि किस तिथि को किस समय पर अपीलार्थी को हस्ताक्षर की कार्यवाही पूर्ण कराने के लिए उपस्थित होना है ।

(6) इन निर्देशों के साथ अपीलार्थी की द्वितीय अपील का अंतिम निराकरण जाता है ।

जनसूचना अधिकारी तथा अपीलार्थी सूचित हों ।

सही / –
(ए के सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त